बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 244342 पटना, दिनांक:- 27/08/15

ग्रा0वि0-3/स्था0-01-69/2015

प्रेषित,

श्री देवेन्द्र कुमार,
तत्कालीन, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
विभूतिपुर, समस्तीपुर ।

विषय:- **स्पष्टीकरण के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0- 240787 दिनांक- 04.08.15 द्वारा ग्रामीण विकस पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विभूतिपुर, समस्तीपुर से स्थानान्तरित करते हुए ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमौर, पूर्णियाँ के पद पर अधिसूचित / पदस्थापित किया गया है, जिसके आलोक में आपके द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किया गया । आपके योगदान नहीं किए जाने के कारण प्रखंड कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

आपके द्वारा विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जो आपके स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है ।

अत: उपरोक्त के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन
प्रदीप कुमार 26/8/15
(प्रदीप कुमार)
सचिव

ज्ञापांक:- 244342 पटना, दिनांक:- 27/08/15

प्रतिलिपि:- **जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं पूर्णियाँ** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. **श्री देवेन्द्र कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी**-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, **विभूतिपुर, समस्तीपुर** को विभागीय अधिसूचना सं0- 240787 दिनांक- 04.08.15 के अनुपालन में अधिसूचित पद पर योगदान करने हेतु कब **विरमित किया गया** /अधिसूचित पदस्थापन कार्यालय- प्रखंड-**अमौर, पूर्णियाँ** में **योगदान करने से संबंधित सूचना**/प्रविदन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

प्रदीप कुमार
सचिव 26/8/15